छत्तीसगढ़ विधान सभा

नवम्बर–दिसम्बर, 2025 सत्र

दैनिक कार्य सूची

मंगलवार, दिनांक 16 दिसम्बर, 2025 (अग्रहायण 25,1947)

समय 11:00 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री ओ.पी. चौधरी, वित्त मंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद–151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिये भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर प्रतिवेदन, छत्तीसगढ़ शासन वर्ष 2025 का प्रतिवेदन संख्या 05 (वाणिज्यिक) पटल पर रखेंगे।

(2) श्री रामविचार नेताम, कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री, छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 79 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक 28202/रूल–503/16/एजी. एसईसी.(टेक), दिनांक 03 नवम्बर,2025 पटल पर रखेंगे।

(3) श्री केदार कश्यप, सहकारिता मंत्री, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 58 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित (अपेक्स बैंक) का अंकेक्षित वित्तीय पत्रक वर्ष 2024–2025 पटल पर रखेंगे।

(4) श्री टंकराम वर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री, छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 47 की अपेक्षानुसार –

(i) शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर का वार्षिक प्रतिवेदन सत्र 2024–2025,

(ii) हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग का दशम् वार्षिक प्रतिवेदन सत्र 2024–2025 (1 जुलाई,2024 से 30 जून, 2025)

(iii) अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर का त्रयोदश वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2024–2025,

(iv) शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ का पंचम वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2024–2025 (1 जुलाई,2024 से 30 जून, 2025) पटल पर रखेंगे।

क्रमशः 2

(5) श्री टंकराम वर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री, छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, अधिनियम, 2004 (क्रमांक 24 सन् 2004) की धारा 31 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2024–25 (1 जुलाई, 2024 से 30 जून, 2025) पटल पर रखेंगे।

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानआकर्षण

(1) श्री अजय चन्द्राकर, डॉ. चरणदास महंत, श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य, प्रदेश में संचालित औद्योगिक ईकाईयों में व्याप्त अव्यवस्था, कुप्रबंधन एवं सुरक्षा व्यवस्था के अभाव की ओर श्रम मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(2) श्रीमती अंबिका मरकाम, सदस्य, सिहावा विधान सभा क्षेत्र में नगरी विकासखण्ड की 18 शालाओं के भवनों की जर्जर स्थिति होने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

4. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) डॉ. चरणदास महंत, सभापति, लोक लेखा समिति का अट्ठाईसवां से साठवां तक कुल 33 प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

(2) श्री विक्रम उसेण्डी, सभापति, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री रिकेश सेन, सदस्य, वैशाली नगर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलने,

(2) श्री ललित चंद्राकर, सदस्य, दुर्ग ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत–

(i) ग्राम थनौद में आयुर्वेद औषधालय भवन निर्माण करने,

(ii) ग्राम भोथली से तिरगा सड़क निर्माण करने,

(3) श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी, सदस्य, भानुप्रतापपुर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत–

(i) ग्राम क्वाचीकटेल से नेवारखेडा मार्ग में इंदुल नाले पर पुलिया निर्माण करने,

(ii) ग्राम हिंगनझर में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने,

(iii) ग्राम मांझीपारा तुएगहन में प्राथमिक शाला भवन निर्माण करने,

(4) श्री धरमलाल कौशिक, सदस्य, बिल्हा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत–

(i) ग्राम धमनी में महाविद्यालय खोलने,

(ii) ग्राम सरगांव के महाविद्यालय में स्नातकोत्तर की कक्षाएं प्रारंभ करने,

(5) श्री रोहित साहू, सदस्य, राजिम विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत–

(i) ग्राम अरण्ड में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने,

(ii) राजिम में राजीवलोचन महाविद्यालय में जियोलॉजी संकाय खोलने तथा

(iii) ग्राम सिर्रीखुर्द के पास सरगी नाले पर एनीकट निर्माण करने

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे।

क्रमशः 3

6. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री लखनलाल देवांगन, श्रम मंत्री, छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) (संशोधन) विधेयक,2025 (क्रमांक 28 सन् 2025) के पुरःस्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।

(2) श्री टंकराम वर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक,2025 (क्रमांक 29 सन् 2025) के पुरःस्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।

(3) श्री लखनलाल देवांगन, वाणिज्य और उद्योग मंत्री, छत्तीसगढ़ जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) (द्वितीय) विधेयक,2025 (क्रमांक 30 सन् 2025) के पुरःस्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।

7. वित्तीय वर्ष 2025–2026 के प्रथम अनुपूरक अनुमान की अनुदान मांगों पर मतदान

निर्धारित समय

3 घंटे

श्री ओ.पी. चौधरी, वित्त मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :–

दिनांक 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या– 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 51, 53, 54, 55, 56, 58, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 76, 79, 80, 81, 82 एवं 83 के लिये राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर **पैंतीस हजार करोड़ रूपये** की अनुपूरक राशि दी जाये।

8. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री ओ.पी. चौधरी, वित्त मंत्री, छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक–3) विधेयक, 2025 (क्रमांक 31 सन् 2025) का पुरःस्थापन करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाये।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

रायपुर,
दिनांक 15 दिसम्बर, 2025